-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 24.11.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **बुजुर्ग दम्पत्ति को मारपीट कर घायल करने वाले दो नामजद अभियुक्तों को थाना बबेरु पुलिस द्वारा किया गिरफ्तार,घटना में प्रयुक्त डण्डा एवं लोहे की रोड बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 23.11.2025 को थाना बबेरु पुलिस द्वारा दो नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जिनके द्वारा एक बुजुर्ग दम्पत्ति को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था ।गौरतलब हो कि कुछ दिन पूर्व कस्वा बबेरू क्षेत्र में दो व्यक्तियों द्वारा एक बुजुर्ग दम्पत्ति को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। जिसके संबंध में बुजुर्ग दंपति के पुत्र द्वारा थाना बबेरू पर प्रारंभिक अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के क्रम में पीड़ित बुजुर्ग दम्पत्ति की चिकित्सीय परीक्षण (मेडिकल रिपोर्ट) में दर्शित चोटों की प्रकृति, घटनास्थल से प्राप्त साक्ष्यों तथा प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयानों के आधार पर अभियोग में विधिक रूप से आवश्यक गंभीर धाराओं की वृद्धि की गई थी। इसी क्रम में मुखबिर की सटीक सूचना पर थाना बबेरू पुलिस द्वारा शिवाजी चौक अतर्रा रोड मोहल्ला अम्बेडकर नगर कस्बा बबेरू से दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्तों की निशान देही पर घटना में प्रयुक्त लकडी का डण्डा व लोहे की रोड बरामद हुयी है।

बरामदगी-

01 अदद लकड़ी का डण्डा व 1 लोहे की राड (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. संजय पुत्र अशोक निवासी भभुवा थाना मरका जिला बांदा।
2. अभिलाष पुत्र कमल निवासी अरथरा थाना बबेरू जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 441/25 धारा 117(2)/352/351(3)/333/109 बी0एन0एस0 थाना बबेरू जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 शिवरतन गुप्ता चौकी प्रभारी कस्वा बबेरु
2. कां0 धर्मेन्द्र सिंह
3. कां0 अरविन्द कुमार
4. कां0 अमित कुमार